

सं. 31011/7/2014-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना ए-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001


दिनांक : 15 जून, 2016

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 - जम्मू एवं कश्मीर दौरे की यात्रा के लिए निजी (प्राइवेट) हवाई जहाजों से यात्रा में छूट बढ़ाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 01.06.2016 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश है कि निजी (प्राइवेट) हवाई जहाजों से यात्रा को केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यात्रा करने के लिए बढ़ाया गया है। यह स्कीम दिनांक 25.09.2016 तक विधिमान्य है। छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेकर यात्रा के संबंध में निबंधन और शर्तें इस विभाग के दिनांक 28.11.2014 के कार्यालय जापन में यथाअधिसूचित के समान ही होंगी।

2. उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में हवाई यात्रा की शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.09.2014 के का.जा.सं. 31011/3/2014-स्था.(ए-IV) में यथानिर्धारित के समान ही होंगी।


(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि इस का.जा. को विभाग की वेबसाइट (का.जा./आदेश→स्थापना→एटीसी नियम) पर अपलोड करवाएं।